दैनिक भास्कर

बिलासपुर 19-05-2026

सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जेल से आज छूट सकते हैं रिटायर्ड आईएएस टुटेजा

रायपुर| डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने लंबी कस्टडी अवधि और ट्रायल में हो रही देरी को राहत का आधार माना है। इस मामले में 80 से अधिक गवाहों के बयान अभी बाकी हैं। कोर्ट ने टुटेजा को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है। टुटेजा करीब 2 साल 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद मंगलवार देर शाम रिहा हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।